<u>भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशनार्थ</u>

<u>फा. सं. 7/13/2026– डीजीटीआर</u>
भारत सरकार
वाणिजय एवं उद्योग मंत्रालय
वोणिजय विभाग
वयापार उपचार महानिदेशालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001

दिनांक: 23 जून, 2026

<u>जांच शुरुआत अधिसूचना</u>

<u>(मामला सं. एडी (एसएसआर) 09/2026)</u>
<u>(सेतु मामला आई.डी.एडी/एसएसआर/010/2026)</u>

विषय : चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "डेकोर पेपर" के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत।

फा. सं. 7/13/2026-डीजीटीआर : आईटीसी लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) तथा समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार, चीन जनवादी गणराज्य (जिसे आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डेकोर पेपर (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने हेतु निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद भारत में पाटन जारी रहा है तथा घरेलू उद्योग को लगातार क्षति हुई है। यह भी आरोप लगाया गया है कि पाटन तथा उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को बढ़ी हुई क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है तथा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा एवं उसे जारी रखने का अनुरोध किया गया है।

क. पूर्व जांच की पृष्ठभूमि

3. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में मूल पाटनरोधी जांच दिनांक 30 सितम्बर, 2020 की जांच शुरुआत अधिसूचना के माध्यम से शुरू की गई थी। विस्तृत जांच के पश्चात प्राधिकारी ने दिनांक 28 सितम्बर, 2021 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना, फा. सं. 6/38/2020-डीजीटीआर के माध्यम से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की। इन सिफारिशों को वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना सं. 77/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से प्रभावी किया गया।

4. तत्पश्चात चीन के एक उत्पादक, अर्थात् हांगझोउ हुआवांग न्यू मटीरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड तथा भारत के एक आयातक, अर्थात् फकीरसन्स पैपकेम प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 को माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष विशेष सिविल आवेदन (एससीए) सं. 16555/2021 दायर किया। इसमें यह चुनौती दी गई कि उक्त निर्यातक के साथ असहयोगी के रूप में अनुचित व्यवहार किया गया था। परिणामस्वरूप, माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 11 जनवरी, 2022 के आदेश द्वारा प्राधिकारी को उक्त निर्यातक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर विचार करने का निर्देश दिया।
5. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर, प्राधिकारी ने दिनांक 10 अप्रैल, 2022 को परिशिष्ट अंतिम जांच परिणाम जारी किए, जिन्हें वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 24 मई, 2022 की अधिसूचना सं. 15/2022-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से प्रभावी किया गया।
6. इसके पश्चात, निर्दिष्ट प्राधिकारी को दो आवेदन प्राप्त हुए। पहला आवेदन हांगझोउ हुआवांग न्यू मटीरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड तथा फकीरसन्स पैपकेम प्राइवेट लिमिटेड की ओर से प्राप्त हुआ, जिसमें मार्जिन के पुनर्निर्धारण का अनुरोध किया गया था। दूसरा आवेदन इंडियन लैमिनेट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा अपने सहयोगी सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स (इंडिया) लिमिटेड, मेरिनो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जेकेएस डेकोर पेपर एलएलपी और थंसाऊ डेकोर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से प्राप्त हुआ, जिसमें विचाराधीन उत्पाद के दायरे के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था। इन आवेदनों के आधार पर प्राधिकारी ने चीन से डेकोर पेपर के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा जांच शुरू की। प्राधिकारी ने दिनांक 25 मार्च, 2025 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना फा. सं. 7/15/2023-डीजीटीआर जारी की, जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 24 जून, 2025 की अधिसूचना सं. 19/2025-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से प्रभावी किया गया। वर्तमान पाटनरोधी शुल्क दिनांक 26 दिसम्बर, 2026 तक प्रभावी हैं।

ख. विचाराधीन उत्पाद

7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद 40-130 जीएसएम के रील स्वरूप में अनलेपित कागज है, जिसकी क्लेम अवशोषण क्षमता कम से कम 12 मि.मी. प्रति 10 मिनट, गीली तन्य शक्ति 6-12 एन /15 मि.मी. तथा गुरले रंध्रता 10-40 सेकेंड/100 मि.ली. हो तथा जिसमें भराव सामग्री के रूप में टाइटेनियम डाइऑक्साइड अथवा वर्णक (पिग्मेंट्स) सम्मिलित हों। यह उच्च दाब (एचपीएल) अथवा निम्न दाब (एलपीएल) सजावटी लैमिनेट्स के लिए आधार कागज है, जिसे सजावटी आधार कागज, उच्च दाब अथवा निम्न दाब लैमिनेट्स के लिए सजावटी कागज, कोटिंग बेस पेपर तथा प्रिंट बेस पेपर के नाम से भी जाना जाता है, किन्तु सीमा शुल्क वर्गीकरण 4811 के अंतर्गत वर्गीकृत मुद्रित डेकोर पेपर को इससे बाहर रखा गया है।
8. विचाराधीन उत्पाद में डेकोर पेपर की विभिन्न किस्में सम्मिलित हैं, जैसे कि सरफेसिंग पेपर (सफेद/ऑफ-व्हाइट), लाइनर (सफेद/ऑफ-व्हाइट), बैरियर पेपर, शटरिंग बेस,

ओवरले पेपर तथा प्रिंट बेस पेपर (रंगीन/सफेद), किन्तु सीमा शुल्क वर्गीकरण 4811 के अंतर्गत वर्गीकृत मुद्रित डेकोर पेपर को इससे बाहर रखा गया है। इसका आयात वैक्सिंग, कोटिंग एवं इम्प्रेग्नेशन हेतु आधार कागज; मुद्रण हेतु आधार कागज; सजावटी उद्योग में उपयोग हेतु आधार कागज तथा बैरियर पेपर के रूप में किया जा सकता है। यह 95 सेमी, 96 सेमी, 102 सेमी, 123 सेमी, 123.5 सेमी, 124 सेमी, 124.5 सेमी, 125 सेमी, 131 सेमी, 132 सेमी, 183 सेमी, 184 सेमी तथा 185 सेमी सहित विभिन्न आकारों में उपलब्ध हो सकता है।

9. चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहेगा जैसा कि पूर्व में संपन्न जांचों में परिभाषित किया गया था।

10. संबद्ध वस्तुएं सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की अनुसूची-I के अध्याय 48 के अंतर्गत सीमा शुल्क वर्गीकरण 4805 91 00 के तहत वर्गीकृत हैं तथा इनका आयात एचएस कोड 4802 20 90 के अंतर्गत भी किया जाता है।

11. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित पीसीएन कार्यप्रणाली प्रस्तावित की है :

क्र.सं.	विशेषता	विवरण	कोड चिह्न
1	जीएसएम	50 जीएसएम से कम 50 जीएसएम से 70 जीएसएम से कम 70 जीएसएम एवं उससे अधिक	"1" "2" "3"
2	रंग	रंगीन डेकोर पेपर अरंगित डेकोर पेपर	"C" "U"
3	उपयोग	लाइनर/सरफेसिंग उपयोग हेतु डेकोर पेपर अन्य उपयोगों हेतु डेकोर पेपर	"1" "2"

12. वर्तमान जांच में हितबद्ध पक्षकारों को, यदि कोई हो, विचाराधीन उत्पाद के दायरे तथा प्रस्तावित पीसीएन कार्यप्रणाली के संबंध में अपनी टिप्पणियां जांच शुरू होने की सूचना प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है।

ग. समान वस्तु

13. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं तथा संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं, संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के तुलनीय हैं, जिनमें भौतिक एवं रासायनिक विशेषताएं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देश, मूल्य निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा प्रशुल्क वर्गीकरण सम्मिलित हैं। दोनों उत्पाद तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से परस्पर प्रतिस्थापन योग्य हैं तथा उपभोक्ताओं द्वारा उनका परस्पर विनिमेय रूप से उपयोग किया जाता है। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तु

माना जाता है।

घ. घरेलू उद्योग और स्थिति

14. आवेदन आईटीसी लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक के अतिरिक्त, संबद्ध वस्तुओं के दो अन्य उत्पादक, अर्थात् पदमजी पेपर प्रोडक्ट्स तथा श्री कृष्ण है। जांच अवधि के दौरान आवेदक ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, आवेदक का संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा भारत में किसी आयातक से कोई संबंध नहीं है।
15. पदमजी पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने समर्थन-पत्र प्रस्तुत करते हुए वर्तमान जांच शुरू करने तथा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का अनुरोध किया है।
16. उपर्युक्त तथ्यों तथा आवेदक द्वारा दायर आवेदन की जांच के पश्चात प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाता है कि आवेदक तथा समर्थनकर्ता मिलकर जांच अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल उत्पादन का एक प्रमुख भाग प्रतिनिधित्व करते हैं तथा आवेदक, नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत परिभाषित घरेलू उद्योग का गठन करता है। तथा आवेदन नियमों के नियम 5(3) के अनुसार पात्रता की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

ङ. संबद्ध देश

17. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच के प्रयोजनार्थ संबद्ध देश चीन जनवादी गणराज्य है।

च. जांच अवधि

18. आवेदक ने 1 अप्रैल, 2025 से 31 दिसम्बर, 2025 तक की अवधि को जांच अवधि के रूप में प्रस्तावित किया है। तथापि, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के लिए 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक की अवधि को जांच अवधि माना है। क्षति जांच अवधि में वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 तथा जांच अवधि सम्मिलित होगी।

छ. पाटन की संभावना और उसके जारी रहने या पुनरावृत्ति होने का आधार

i. सामान्य मूल्य

19. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार के रूप में माना जाना चाहिए और इसलिए चीनी उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन एवं विक्रय से संबंधित उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की परिस्थितियां विद्यमान हैं। जब तक चीनी उत्पादक यह प्रदर्शित नहीं करते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की परिस्थितियां विद्यमान हैं, उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। उक्त पैरा 7 के अनुसार, गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में संबद्ध वस्तु के मूल्य, अथवा ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य

देशों को निर्यात मूल्य, अथवा भारत में देय अथवा चुकाए गए मूल्य सहित किसी अन्य युक्तिसंगत आधार पर किया जाना अपेक्षित है।

20. वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ सामान्य मूल्य का निर्माण भारत में देय मूल्य के आधार पर किया गया है। सामान्य मूल्य का निर्माण घरेलू उद्योग की संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है, जिसमें विक्रय, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा युक्तिसंगत लाभ को समुचित रूप से समायोजित किया गया है।

ii. निर्यात मूल्य

21. संबद्ध वस्तुओं का निर्यात मूल्य डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों में उपलब्ध सीआईएफ मूल्य के आधार पर परिकलित किया गया है। कारखाना-स्तर (निर्यात मूल्य निर्धारित करने हेतु समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, बंदरगाह व्यय, अंतर्देशीय भाड़ा तथा ऋण लागत के संबंध में समायोजन किए गए हैं।

iii. पाटन मार्जिन

22. सामान्य मूल्य तथा निर्यात मूल्य की तुलना कारखाना-स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है। अतः पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध हैं कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का भारत में पाटन किया जा रहा है।

ज. क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना और कारणात्मक संबंध

23. चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए प्राधिकारी को यह जांचना आवश्यक है कि वर्तमान में लागू शुल्क की समाप्ति अथवा निरसन से पाटन तथा क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना उत्पन्न होगी या नहीं।

24. आवेदक ने प्रथम दृष्टया ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, जिनसे यह स्थापित होता है कि संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति होती रही है। क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को लगातार कम किया है तथा मूल्य दमन और मूल्य ह्रास उत्पन्न किया है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों की निरंतर उपस्थिति के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ तथा निवेश पर प्रतिफल में गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त, पाटन तथा क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना भी है, क्योंकि भारत चीनी उत्पादकों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है तथा भारत में पाटन लगातार जारी रहा है। चीनी उत्पादकों के पास अतिरिक्त उत्पादन क्षमता उपलब्ध है तथा वे तीसरे देशों में भी पाटन कर रहे हैं। अन्य अधिकार-क्षेत्रों में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण उन्होंने बाजार हिस्सेदारी खोई है। प्राधिकारी यह नोट करता है कि पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध हैं, जो यह दर्शाते हैं कि यदि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर वर्तमान पाटनरोधी शुल्क

समाप्त कर दिया जाता है, तो पाटन तथा उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है।

झ. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

25. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित आवेदन तथा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन एवं उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में उपलब्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्यों से संतुष्ट होने के पश्चात तथा अधिनियम की धारा 9क(5) को नियमावली के नियम 23(1ख) के साथ पठित करते हुए, प्राधिकारी एतद्द्वारा यह जांच करने हेतु निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करता है कि क्या संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर वर्तमान पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है।

ञ. प्रक्रिया

26. यह निर्णायक समीक्षा, दिनांक 28 सितम्बर, 2021 की अधिसूचना फा. सं. 6/38/2020-डीजीटीआर के माध्यम से प्रकाशित अंतिम जांच परिणाम तथा दिनांक 25 मार्च, 2025 की अधिसूचना फा. सं. 7/15/2023-डीजीटीआर के माध्यम से प्रकाशित अंतिम जांच परिणाम, जिनमें संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी, के सभी पहलुओं को आच्छादित करेगी।
27. नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 तथा 20 के प्रावधान, आवश्यक परिवर्तनों सहित, इस समीक्षा जांच पर लागू होंगे।

ट. सूचना की प्रस्तुति

28. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारों की ओर से सभी संचार एवं प्रस्तुतियां उनके पंजीकृत नाम तथा संबंधित मामला आईडी के अंतर्गत सेतु पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्तुति का विवरणात्मक भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में तथा आंकड़ा संबंधी फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हों।
29. संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित संबद्ध देश के दूतावास के माध्यम से उसकी सरकार तथा भारत में विचाराधीन उत्पाद से संबंधित ज्ञात आयातकों एवं उपयोगकर्ताओं को पृथक रूप से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर सभी प्रासंगिक सूचनाएं प्रस्तुत कर सकें। ऐसी सभी सूचनाएं इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली तथा प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में विहित प्रारूप एवं रीति से प्रस्तुत की जानी चाहिए।
30. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी वर्तमान जांच से संबंधित अपनी प्रस्तुति इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली तथा प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में विहित प्रारूप

एवं रीति से, इस अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

31. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुति करने वाले पक्षकार को उसकी अगोपनीय प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए उपलब्ध करानी होगी।

32. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे इस जांच से संबंधित अद्यतन जानकारी के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (www.dgtr.gov.in) तथा सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर नियमित रूप से दृष्टि बनाए रखें। हितबद्ध पक्षकारों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे प्रश्नावली प्रारूप, पीसीएन कार्यप्रणाली, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाएं तथा अन्य संबंधित सूचनाओं से अवगत रहने हेतु डीजीटीआर की वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) का नियमित रूप से अवलोकन करें।

ठ. समय-सीमा

33. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर पंजीकृत नाम तथा संबंधित मामला आईडी AD/SSR/010/2026 के अंतर्गत अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक प्रस्तुति के दोनों संस्करण, अर्थात् गोपनीय संस्करण तथा अगोपनीय संस्करण घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के अगोपनीय संस्करण को प्राधिकारी द्वारा प्रसारित किए जाने अथवा नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तिथि से 37 दिनों के भीतर संबंधित निर्धारित स्तंभों में अपलोड किए जाने चाहिए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण होती है, तो प्राधिकारी अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों तथा नियमावली के अनुसार अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है।

34. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा परामर्श दिया जाता है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (रुचि की प्रकृति सहित) की सूचना दें तथा इस अधिसूचना में निर्धारित समय-सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपने प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत करें। विचाराधीन उत्पाद पीयूसी के दायरे अथवा पीसीएन कार्यप्रणाली पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने की निर्धारित समय-सीमा, इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के साथ-साथ चलेगी।

35. विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन में संशोधन के कारण समय-विस्तार: यदि प्राधिकारी किसी पश्चातवर्ती सूचना के माध्यम से ऐसे विचाराधीन उत्पाद पीयूसी अथवा पीसीएन में संशोधन करता है, जो पहले प्रस्तावित नहीं था अथवा जांच शुरुआत अधिसूचना से भिन्न है, तो 15 दिनों का समय-विस्तार प्रदान किया जाएगा। यह समय-विस्तार संशोधित पीयूसी अथवा पीसीएन की अधिसूचना की तिथि से प्रदान किया जाएगा। इस पैरा में उल्लिखित 15 दिनों का समय-विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां जांच शुरू होने के पश्चात पीयूसी अथवा पीसीएन कार्यप्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। 15 दिनों के उक्त समय-विस्तार (यदि प्रदान किया गया हो) से अतिरिक्त समय-विस्तार के अनुरोधों पर सामान्यतः

विचार नहीं किया जाएगा, सिवाय असाधारण परिस्थितियों के, जैसा कि नियमावली के नियम 6(4) में उपबंधित है।

36. समय-विस्तार का कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकार द्वारा मूल समय-सीमा समाप्त होने से कम-से-कम एक दिन पूर्व सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस अवधि के पश्चात प्रस्तुत अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुति

37. जहां वर्तमान जांच का कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुति करता है अथवा गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराता है, वहां ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) तथा इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी प्रासंगिक व्यापार सूचनाओं के अनुसार, ऐसी सूचना का अगोपनीय संस्करण भी साथ-साथ प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने पर उत्तर/प्रस्तुति अस्वीकार की जा सकती है।
38. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी प्रस्तुति (उससे संलग्न परिशिष्टों/अनुलग्नकों सहित), जिसमें प्रश्नावली के उत्तर भी सम्मिलित हैं, प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को गोपनीय तथा अगोपनीय संस्करण पृथक-पृथक प्रस्तुत करने होंगे।
39. ऐसी प्रस्तुतियों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। जिन प्रस्तुतियों पर ऐसा अंकन नहीं किया गया होगा, उन्हें प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा तथा प्राधिकारी को ऐसे अभ्यावेदनों का निरीक्षण अन्य हितबद्ध पक्षकारों को कराने की स्वतंत्रता होगी।
40. गोपनीय संस्करण में ऐसी सभी सूचनाएं सम्मिलित होंगी जो स्वभावतः गोपनीय हैं अथवा जिनके प्रदाता ने उन्हें गोपनीय होने का दावा किया है। ऐसी सूचनाओं के संबंध में, जिन्हें स्वभावतः गोपनीय बताया गया है अथवा अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया गया है, सूचना प्रदाता को यह स्पष्ट करते हुए पर्याप्त कारण विवरण प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।
41. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना का अगोपनीय संस्करण, गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को यथासंभव अनुक्रमित अथवा जहां अनुक्रमण संभव न हो वहां रिक्त किया गया हो तथा ऐसी सूचना का गोपनीयता के दावे के अनुरूप समुचित एवं पर्याप्त सारांश भी प्रस्तुत किया गया हो।
42. अगोपनीय सारांश इतना विस्तृत होना चाहिए कि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय-वस्तु का युक्तिसंगत रूप से बोध हो सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश तैयार करना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में उसे यह पर्याप्त एवं संतोषजनक स्पष्टीकरण देना होगा कि ऐसा सारांश तैयार करना क्यों संभव नहीं है।
43. हितबद्ध पक्षकार गोपनीयता से संबंधित मुद्दों पर दस्तावेजों के अगोपनीय संस्करण के प्रसार की तिथि से 7 दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच करने के पश्चात प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा

अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकारी यह पाता है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या उसके सामान्यीकृत अथवा सारांश रूप में प्रकटन की अनुमति देने के लिए इच्छुक नहीं है, तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकता है।

44. नियमावली के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुरूप सार्थक अगोपनीय संस्करण अथवा पर्याप्त एवं उपयुक्त कारण विवरण के बिना की गई कोई भी प्रस्तुति अभिलेख पर स्वीकार नहीं की जाएगी।

ढ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

45. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत सभी अगोपनीय संस्करण सेतु पोर्टल पर संबंधित लॉग-इन के माध्यम से अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए उपलब्ध होंगे।

ण. असहयोग

46. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार अभिगम प्रदान करने से इंकार करता है अथवा युक्तिसंगत अवधि के भीतर अथवा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में निर्दिष्ट समय-सीमा अथवा बाद में पृथक संचार के माध्यम से प्रदान की गई अवधि के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, अथवा जांच में महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न करता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकता है, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है तथा केंद्रीय सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है जिन्हें वह उपयुक्त समझे।

(अमिताभ कुमार)
निर्दिष्ट प्राधिकारी

Digitally signed by
Amitabh Kumar
Date: 24-06-2026
19:46:16